भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5748
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

औषधि मूल्य वृद्धि

5748. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषधि मूल्य वृद्धि की अनुमति देने के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के निर्णय पर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हां, तो एनपीपीए द्वारा इस मूल्य वृद्धि का क्या औचित्य बताया गया है और यह सभी नागरिकों के लिए आवश्यक दवाओं तक वहनीय पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करता है;
(ग) क्या मूल्य वृद्धि को स्वीकृति देने से पूर्व संबंधित हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श किया गया था; और
(घ) भविष्य में ऐसे मुद्दों को रोकने के लिए संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार किन उपचारात्मक उपायों को लागू करने की योजना बना रही है?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति, 2012 का एक उद्देश्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तदनुसार, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को उक्त नीति के अनुसरण में जारी औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 ["डीपीसीओ, 2013"] के अंतर्गत आवश्यक दवाओं के मूल्यों को विनियमित करते समय बाजार में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना होता है।

एनपीपीए को समय-समय पर विनिर्माताओं की ओर से आवश्यक दवाओं के कुछ फॉर्मूलेशनों को बंद करने की अनुमति प्रदान करने से संबंधित आवेदन प्राप्त होते हैं, साथ ही विभिन्न औषध

विनिर्माण/विपणन कंपनियों और उद्योग संघों की ओर से मूल्यों में वृद्धि करने से संबंधित आवेदन इन आधार पर प्राप्त होते हैं कि उत्पादन और सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) की लागत में वृद्धि, विनिमय दर में परिवर्तन आदि जैसे कारणों से मौजूदा मूल्यों पर फॉर्मूलेशनों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना व्यवहार्य नही है। ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार-विमर्श करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और एनपीपीए के प्रतिनिधियों की एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के रूप में एक परामर्श तंत्र एनपीपीए में मौजूद है। दवाओं की आवश्यकता, उनके मूल्य नियंत्रण के अधीन रहने की अवधि, हाल ही के वर्षों में एपीआई के मूल्यों के रुझान, संभावित कमी से संबंधित कोई मामला और विनिर्माण बंद करने से संबंधित आवेदनों की प्राप्ति जैसे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए आईएमसी आवेदनों की जांच करती है। उपर्युक्त मापदंडों के अनुसार 77 फॉर्मूलेशनों के मूल्य में वृद्धि के आवेदनों के संबंध में आईएमसी के साथ की गई विस्तृत परिचर्चा तथा उसकी सिफारिशों के आधार पर, एनपीपीए ने 8 औषधियों के 11 फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की है, ताकि उनकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, जिससे बाजार में इन औषधियों की अनुपलब्धता के कारण आम जनता को इनके महंगे विकल्पों की ओर रुख करने के लिए मजबूर न होना पड़े।

*****